पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या- 4624

==

भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वैध रूप से विद्यमान कंपनी, सी.आई.एन.--यू.27100डी.एल.1999.पी.एल. सी.आई.08350, पैन--ए.ए.ए.सी.बी.9760डी, बिहार जी.एस.टी. सं.--10ए.ए.ए.सी.बी.9760डी.1जेड.5 पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल, ए-2, एन. टी. एच. परिसर, शहीद जीत सिंह मार्ग, यू. एस. ओ. रोड, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली-110067, भारत और मेजर स्टील वर्क्स गांव-थेलकोलोई, पोस्ट-लपंगा,तहसील रेंगली, जिला-संबलपुर ओडिशा-768212, द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री गौतम कुमार सिन्हा, आयु लगभग 51 वर्ष (नियत न्यायवादी), पुत्र-स्वर्गीय (डॉ) एच. के. सिन्हा, वर्तमान निवासी सी-302, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड टाउनशिप, गाँव-थेलकिलोई, पोस्ट-लपंगा,तहसील-रेंगली, जिला-संबलपुर, ओडिशा-768212, कम्पनी का स्थानीय कार्यालय-खाता नं. 413, किशनगंज रोड, दामका चौक, दामका चौक के पास, गुलाबबाग, पूर्णिया, बिहार ।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव सह आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव सह आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. संयुक्त राज्य कर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया।
4. सहायक राज्य कर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया।

--------------- उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

===

साथ में

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 4637

===

भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वैध रूप से विद्यमान कंपनी, सी.आई.एन.--यू.27100डी.एल.1999.पी.एल. सी.आई.08350, पैन--ए.ए.ए.सी.बी.9760डी, बिहार जी.एस.टी. सं.--10ए.ए.ए.सी.बी.9760डी.1जेड.5 पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल, ए-2, एन. टी. एच. परिसर, शहीद जीत सिंह मार्ग, यू. एस. ओ. रोड, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली-110067, भारत और मेजर स्टील वर्क्स गांव-थेलकोलोई, पोस्ट-लपंगा,तहसील रेंगली, जिला-संबलपुर ओडिशा-768212, द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री गौतम कुमार सिन्हा, आयु लगभग 51 वर्ष (नियत न्यायवादी), पुत्र-स्वर्गीय (डॉ) एच. के. सिन्हा, वर्तमान निवासी सी-302, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड टाउनशिप, गाँव-थेलकिलोई, पोस्ट-लपंगा,तहसील-रेंगली, जिला-संबलपुर, ओडिशा-768212, कम्पनी का स्थानीय कार्यालय --खाता नं. 413, किशनगंज रोड, दामका चौक, दामका चौक के पास, गुलाबबाग, पूर्णिया, बिहार ।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव सह आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।

2. प्रधान सचिव सह आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. संयुक्त आयुक्त राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया।

4. सहायक आयुक्त राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया।

------- उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==

साथ मे

2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 4785

==

भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वैध रूप से विद्मान कंपनी, सी.आई.एन.-- यू.27100डी.एल.1999.पी.एल. सी.आई.08350, पैन--ए.ए.ए.सी.बी.9760डी, बिहार जी.एस.टी. सं.--10ए.ए.ए.सी.बी.9760डी.1जेड.5 पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल, ए-2, एन. टी. एच. परिसर, शहीद जीत सिंह मार्ग, यू. एस. ओ. रोड, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली-110067, भारत और मेजर स्टील वर्क्स गांव-थेलकोलोई, पोस्ट-लपंगा,तहसील रेंगली, जिला-संबलपुर ओडिशा-768212, द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री गौतम कुमार सिन्हा, आयु लगभग 51 वर्ष (नियत न्यायवादी), पुत्र-स्वर्गीय (डॉ) एच. के. सिन्हा, वर्तमान निवासी सी-302, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड टाउनशिप, गाँव-थेलकिलोई, पोस्ट-लपंगा,तहसील-रेंगली, जिला-संबलपुर, ओडिशा-768212, कम्पनी का स्थानीय कार्यालय --खाता नं. 413, किशनगंज रोड, दामका चौक, दामका चौक के पास, गुलाबबाग, पूर्णिया, बिहार ।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य,द्वारा प्रधान सचिव सह आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

2. प्रधान सचिव सह आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. संयुक्त राज्य कर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया।

4. सहायक राज्य कर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया।

----- उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==

उपस्थिती:

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 4624 / 2022 में**)**

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सुनीत कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादीओं के लिये : श्री विकास कुमार (एससी11)

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 4637 / 2022 में**)**

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सुनीत कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादीओं के लिये : श्री विकास कुमार (एससी5)

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 4785 /2022 में**)**

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सिधार्थ प्रसाद, अधिवक्ता

प्रतिवादीओं के लिये : श्री विकास कुमार (एससी 11)

==

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धाराएं 8*
- *अधिनियम 1993 का नियम 10*
- *बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धाराएं 24(10), 31, 24(8)*
- *दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धाराएं 3, 7, 10, 13-25, 31*

- *भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का विनियम 6*
- *सीआईआरपी विनियम का विनियम 37*
- *बिहार मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 का नियम 65*
- *बिहार प्रवेश कर नियम, 1993 का नियम 10*
- *बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017*

संदर्भित मामले:

- *एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य (2020) 8 एससीसी में रिपोर्ट किए गए*
- *घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (सुप्रीम कोर्ट सी.ए. संख्या 8129/2019) (2021) 9 एससीसी 657 में रिपोर्ट किए गए*
- *उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड और अन्य बनाम सहायक आयकर आयुक्त और अन्य (बॉम्बे उच्च न्यायालय रिट याचिका (एल) संख्या 940/2022)*
- *आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त 2024 एससीसी ऑनलाइन बॉम 3481 में रिपोर्ट किए गए*
- *आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य। 08.12.2022 को उड़ीसा उच्च न्यायालय डब्लूपी(सी) संख्या 1553/2022 में निर्णय लिया गया*
- *एएनएमएस खोपोली लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त*

रिट याचिका - यह याचिका राज्य करों के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित निर्धारण आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी, जिसमें यह माना गया कि याचिकाकर्ता कंपनी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कर/ब्याज/जुर्माना/दंड के रूप में ₹21,12,013/- का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

यह रिकॉर्ड में है कि याचिकाकर्ता कंपनी के विरुद्ध एक वित्तीय लेनदार के आवेदन पर एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण) में कार्यवाही लंबित थी।

न्यायालय का निर्णय: न्याय निर्णायक प्राधिकारी ने 05.09.2019 को समाधान योजना को मंजूरी दी थी। (पैरा 34)

समाधान योजना को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि इसमें किसी भी अप्रत्यक्ष कर कानून के तहत "बकाया राशि" शामिल है, यदि वे प्रभावी तिथि से पहले के किसी भी हिस्से से संबंधित हैं। इसलिए, यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वर्तमान मामले में विवादित मांग प्रभावी तिथि से पहले की किसी अवधि से संबंधित है। (पैरा 35)

एक बार जब समाधान योजना को आईबीसी की धारा 31(1) के तहत अनुमोदित कर दिया जाता है, तो उसमें उल्लिखित ऋण ही देय माने जाते हैं, और यह स्थिति केंद्र सरकार तथा विभिन्न प्राधिकरणों, जिनमें कर प्राधिकरण भी शामिल हैं, पर बाध्यकारी होती है। (पैरा 37)

एनसीएलटी ने 05.09.2019 को समाधान योजना को स्वीकृति दी और एनसीएलएटी (राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण) ने 17.02.2020 को एनसीएलटी के आदेश की पुष्टि की। बिहार सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए 12.02.2020 को ऑडिट किया गया, और उसके आधार पर 25.08.2020 को याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए गए। इसके पश्चात 22.12.2021 को याचिका में विवादित निर्धारण आदेश पारित किया गया। (पैरा 40)

निर्धारण आदेश और इससे उत्पन्न कर मांग प्रभावी तिथि से पहले की अवधि से संबंधित है, अतः वर्तमान मामला सर्वोच्च न्यायालय केघनश्याम मिश्रा मामले में दिए गए निर्णय के अनुपात में आता है। (पैरा 41)

रिट याचिका स्वीकृत की जाती है। (पैरा 42)

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

कैव निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

दिनांक: 17-02-2025

ये तीन रिट आवेदन विचार के लिए उभयनिष्ठ प्रश्न उठा रहे हैं, इसलिए, पक्षों के अनुरोध पर, हमने इन रिट आवेदनों को एक साथ सुना है और इन्हें इस उभयनिष्ठ निर्णय द्वारा निष्पादन किया जा रहा है।

<u>सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या-.4624 / 2022</u>

2. यह रिट आवेदन ,राज्य करों के संयुक्त आयुक्त, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया द्वारा दिनांक 22.12.2021 को बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम 1993' के रूप में संदर्भित किया गया है), बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम 2005' के रूप में संदर्भित किया गया है) के साथ पठित है, के प्रावधानों के तहत पारित मूल्यांकन आदेश को रद्द करने के लिए किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता कम्पनी,वित्तीय वर्ष, 2016-17 के लिये 21,12,013 रुपये का कर/ब्याज/जुर्माना/जुर्माने देने के लिये उत्तरदायी, है। याचिकाकर्ता ने संयुक्त आयुक्त द्वारा 2005 के अधिनियम की धारा 25 और 39 के तहत जारी किए गए दिनांक 22.12.2021 के मांग नोटिस को रद्द करने का भी अनुरोध किया है जिसमे याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ आक्षेपित मूल्यांकन आदेश के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए 21,12,013 रुपये देने का

मुद्दाउठाया गया है। याचिकाकर्ता-कंपनी ने दिनांक 01.02.2022 के अनुस्मारक नोटिस को भी आगे रद्द करने का अनुरोध किया है।

सी.डब्ल्यू.जे.सी संख्या-.4637 / 2022

3. इस रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता ने समान राहत के लिए प्रार्थना की है। राज्य करों के संयुक्त आयुक्त, पूर्णियाअंचल, पूर्णिया द्वारा दिनांक 20.12.2021 को पारित मूल्यांकन आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता-कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 के करों/जुर्माने/जुर्माने के लिए रु. 5,78,195 का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, दिनांक 20.12.2021 को विवादित मूल्यांकन आदेश के आधार पर 2005 के अधिनियम की धारा 25 और 39 के तहत जारी किया गया मांग नोटिस और उक्त राशि के भुगतान के लिए राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा जारी किया गया 01.02.2022 का अनुस्मारक नोटिस इस रिट आवेदन में आक्षेपित हैं।

सी.डब्ल्यू.जे.सी संख्या—4785 / 2022

4. इस रिट आवेदन में राज्य करों के संयुक्त आयुक्त, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया द्वारा दिनांक 28.12.2021 को पारित मूल्यांकन आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता-कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 44500/--रुपये का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, दिनांक 28.12.2021 को राज्य करों के संयुक्त आयुक्त, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया द्वारा जारी मांग नोटिस और दिनांक 01.02.2022 को राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णिया प्रभाग, पूर्णिया द्वारा जारी का अनुस्मारक नोटिस, विवाद के दायरे में है।

वाद के संक्षिप्त तथ्य

5. याचिकाकर्ता-कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली, भारत में है। इसे सपाट और लंबे स्टील उत्पादों का एक प्रमुख निर्माता कहा जाता है और चंडीगढ़,

डेराबस्सी, कोलकाता, उड़ीसा और भारत के अन्य हिस्सों में इसके अत्याधुनिक संयंत्र हैं। इस प्रकार आई. एस. और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संयंत्र कोयला खनन से लेकर कच्चा लोहा, डी. आर.आई., बिलेट्स, एच.आर.कॉइल, सी.आर.कॉइल, जी. पी./जी. सी. शीट्स, प्रिसिजन ट्यूब, ब्लैक पाइप/जी. आई. पाइप, केबल टेप, टोर स्टील, कार्बन और विशेष मिश्र धातु इस्पात वायर रॉड और राउंड के निर्माण तक पूरी इस्पात मूल्य श्रृंखला को कवर करने वाले मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्माण करते हैं।

6. प्रतिवादीओं ने ई. टी.-IV में दाखिल किए गए रिटर्न की जांच की। यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने कुल 1901485927.00/ रुपये की आयात मूल्य और भुगतान के रूप में रसीद दिखाई थी, जबकि 2005 के अधिनियम के तहत दाखिल किए गए रिटर्न में राज्य के भीतर बिक्री और स्टॉक प्राप्तियों को 1912717747.00- रुपये पर दिखाया गया है। इस प्रकार, प्रवेश कर के संबंध में यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने अपने प्रवेश कर का सही भुगतान नहीं किया था। याचिकाकर्ता को कारण बताने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रतिवादी अधिकारियों को कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। ऐसी परिस्थिति में, मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था और याचिकाकर्ता-कंपनी को प्रवेश कर हेतु 9,56,35,887/- रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है जो 1912757747- रुपये का पांच प्रतिशत है। याचिकाकर्ता को 2005 के अधिनियम की धारा 24 (10) जो 1993 के अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित है, के तहत आकलित 7.94,316/-रुपये का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, और 3,83,558/-रुपये की भुगतान राशि के समायोजन के बाद, 4,10,758 रुपये की राशि शेष देय पाई गई है। इसी तरह 2005 के अधिनियम की धारा 24 (8) जो 1993 के अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित है के तहत जुर्माना राशि के रूप में .44,500/- रुपये की राशि की गणना की गई है। अंततः 1993 के अधिनियम के नियम 10 के तहत, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता-कंपनी ने फॉर्म ई टी-एक्स जमा नहीं किया था जो 1993 के अधिनियम के नियम 8 का उल्लंघन है। इसके लिए जुर्माने के रूप में 1000/- रुपये की राशि लगाई गई है। इस तरह, याचिकाकर्ता को निम्नलिखित राशियों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया हैः दस्तावेजों की सूची

कर की राशि ---- रु 9,56,35,857 = 00

धारा -20(10) के तहत ब्याज ---रु 4,10,758 = 00

धारा 24(8) के तहत देय जुर्माना— रु 44,500 = 00

नियम-10 के तहत शस्ति – रु 1,000 = 00

कुल भुगतेय राशि --- रु 9,60,92,145 = 00
भुगतान राशि --- रु 9,39,80,132 = 00

शेष भुगतान राशि --- रु 21,12,013 = 00

इस प्रकार रु 24,12,013 = 00 का मांग पत्र निर्गत करे तथा पंजी में दर्ज करे ।"

7. यह रिट आवेदनो में प्रस्तुत किए गए प्रकथनों से प्रतीत होता है कि जाँच के बाद मूल्यांकन आदेश पारित किया गया, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, पूर्णियाअंचल, पूर्णिया ने रु ,21,12,013/- (21 लाख 12 हजार और 13 रुपये) की मांग करते हुए मांग नोटिस जारी किया और उसके बाद 2005 के अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की।

<u>याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन</u>

8. यह निवेदित है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संक्षेप में 'आई. बी. सी.') के प्रावधानों के तहत समाधान योजना के अनुमोदन को देखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा अप्रत्यक्ष कर के तहत प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई मांग अब देय नहीं है। यह निवेदन किया जाता है कि, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन पंजाब नेशनल बैंक (सी. ए. 254/2019) द्वारा याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद एन. सी. एल. टी./न्यायनिर्णायक प्राधिकरण कहा जाता है) के समक्ष निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) शुरू करने के लिए दायर किया गया था। उक्त आवेदन को 26.07.2017 पर स्वीकार किया गया था और सी. आई. आर. पी. की शुरुआत एन.

सी. एल. टी. द्वारा एक अंतरिम समाधान व्रितिक (आई. आर. पी.) की नियुक्ति करके आई. बी. सी. की धारा 16 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई थी।

9. यह निवेदन किया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 17, जो आई. बी. सी. की धारा 25 के साथ पठित है के संदर्भ में याचिकाकर्ता-कंपनी के मामलों का प्रबंधन आई. आर. पी. के पास एक वर्तमान चिंता के रूप में निहित था। इसके बाद भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के तहत 28.07.2017 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई। कंपनी के सभी लेनदारों को सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित अंतिम तिथि को या उससे पहले सबूत के साथ पूर्व-सी. आई. आर. पी. दावे दायर करने के लिए निमंत्रण भेजा गया था।

10. याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रतिवादीओं द्वारा इसके किसी भी पूर्व-सी. आई. आर. पी. बकाया के संबंध में कोई भी दावा नहीं किया गया था/दायर नहीं किया गया था, जैसा कि अब विवादित मूल्यांकन आदेश/आदेशो, मांग नोटिस/नोटिसो और अनुस्मारक नोटिस/नोटिसो को पारित करके मांग की जा रही है। यह निवेदित किया जाता है कि 8 फरवरी, 2018 की समाधान योजना के साथ-साथ कंपनी के लिए जे. एस. डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड द्वारा 10 अक्टूबर, 2018 को प्रस्तुत अनुशेष पत्र को 15-16 अक्टूबर, 2018 को आयोजित ई-मतदान के दौरान लेनदारों की समिति (सी. ओ. सी.) द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसके बाद एन. सी. एल. टी. ने कुछ शर्तों के साथ संकल्प योजना को आंशिक रूप से मंजूरी दी थी, भले ही ऐसी शर्तों को एन. सी. एल. टी. द्वारा (ए. टी.) (दिवाला) सं-957/2019 (जे. एस. डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड बनाम महेंद्र कुमार खंदेल्वाल और अन्य) की कंपनी अपील में पारित आदेश के अनुसार अपील में अलग कर दिया गया था। संकल्प योजना 17.02.2020 को अंतिम रूप प्राप्त कर चुकी है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता-कंपनी की समाधान योजना की प्रभावी तिथि/अनुमोदन से पहले की अवधि के लिए, स्वीकृत संकल्प योजना के तहत प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, अनुमोदित संकल्प योजना के संदर्भ में के सभी दावे

और देनदारियो को समाप्त कर दिया गया है। बकाया सरकारी बकाया, करों आदि के संबंध में यह और स्पष्ट किया गया है कि प्रस्ताव के खंड 1.6 (vii) में यह प्रावधान किया गया है कि समाधान आवेदक द्वारा कंपनी पर नियंत्रण के अधिग्रहण के कारण प्रभावी तिथि से पहले की किसी भी अवधि के संबंध में या समाधान योजना के अनुसार उत्पन्न होने वाले किसी भी अप्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों के तहत सभी बकाया, सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 37 के अनुसार, समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एन. सी. एल. टी. के आदेश के आधार पर समाप्त हो जाएंगे और कंपनी समाधान योजना में विशेष रूप से प्रदान किए गए दावे के अलावा किसी भी ऐसे दावे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। प्रभावी तिथि 05.09.2019 है। यह निवेदन किया जाता है कि समाधान योजना के खंड 1.6 के अनुसार, सभी सूचनाएं, आकलन, अपीलीय या अन्य लंबित कार्यवाहिया या कम्पनी को खतरे के सम्बंध में कार्यवाहियां समाप्त हो जायेंगी और वापस ले ली जाएंगी और सभी परिणामी देनदारियां, यदि कोई हों, सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 37 के अनुसार समाप्त हो जाएंगी।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अनुमोदित संकल्प योजना आई. बी. सी. की धारा 31 के अनुसार कम्पनी के सभी हितधारकों पर बाध्यकारी है। आगे यह निवेदित है कि दिनांक 22.12.2021 का विवादित मूल्यांकन आदेश अवैध और बिना अधिकार क्षेत्र के बिना है क्योंकि इसे राज्य करों के संयुक्त आयुक्त, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया द्वारा आई. आर. पी. द्वारा सफल समाधान के बाद बहुत देर से पारित किया गया है और प्रबंधन दल के साथ नए निदेशक मंडल ने याचिकाकर्ता-कंपनी के संचालन को 26.03.2021 से अपने हाथ में ले लिया है।

13. यह निवेदन किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य (2020)8 एस. सी. सी. 531** में रिपोर्ट किया गया) के वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि " समाधान योजना को स्वीकार किए जाने के बाद एक सफल समाधान आवेदक को अचानक" अनिर्णित "दावों का सामना नहीं करना पड़ सकता है क्योंकि यह एक हाइड्रा के सिर को तेजी से ऊपर करने के बराबर

होगा जो एक संभावित समाधान आवेदक, जोकि सफलतापूर्वक कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को संभाल लेगा ,द्वारा देय राशि को अनिश्चितता में डाल देगा। सभी दावों को पेशेवर समाधानकर्ता को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि एक संभावित समाधान आवेदक को पता हो कि वास्तव में क्या भुगतान किया जाना है ताकि वह तब निगमित ऋणी के व्यवसाय को संभाल सके और चला सके।."

14. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **घनश्याम मिश्रा और सन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडलवाइस परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि.** (सी. ए. स०- 8129/2019) **(2021) 9 एस. सी. सी. 657** में सूचित है) के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सफल समाधान आवेदक को ऐसे आकस्मिक दावों से वंचित नहीं किया जा सकता है जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह राय दी गई है कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना में, जो दावे समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, वे समाप्त हो जाएंगे और उनसे संबंधित कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि याचिका का विषय कार्यवाहियां हैं, जो योजना की मंजूरी से पहले प्रतिवादीओं के दावों से संबंधित हैं, उन्हें जारी नहीं रखा जा सकता है, इसी तरह समान रूप से दावे, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, समाप्त हो जाएंगे।

15. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, यह तर्क दिया जाता है कि 2005 के अधिनियम के साथ पठित 1993 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए करों/ब्याज/जुर्माने/जुर्माने के रूप में एक भी पैसा याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा देय नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि वास्तव में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के उद्धरण से यह पाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता-कंपनी कुछ धनवापसी राशि के लिए पात्र है। माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के **उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम सहायक आयकर आयुक्त और अन्य के मामले में न्यायालय (रिट याचिका (एल) संख्या 940/2022)** और माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या-459/ 2015 में दिनांक 08.12.2021 को पारित निर्णय के फैसले पर भी

भरोसा रखा गया है। यह तर्क दिया जाता है कि ठीक इसी तरह से उड़ीसा के वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रवेश कर के भुगतान के लिए मांग नोटिस जारी किया था और याचिकाकर्ता-कंपनी ने इसे उड़ीसा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता-कंपनी की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और मांग पत्र को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है।

प्रतिवादीओं की ओर से निवेदन

16. प्रतिवादियों की ओर से एक जवाबी शपथपत्र दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता-कंपनी को 2005 के अधिनियम की धारा 26 के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार पटना द्वारा वैट ऑडिट के लिए चुना गया था। अतिरिक्त राज्य कर आयुक्त (लेखा परीक्षा), पूर्णिया प्रभाग, पूर्णिया के कार्यालय द्वारा याचिकाकर्ता-कंपनी को लेखा पुस्तकों के लेखा परीक्षा के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता वैट ऑडिट के लिए लेखा पुस्तकों और प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसके बाद अतिरिक्त राज्य कर आयुक्त, (ऑडिट), पूर्णिया डिवीजन ने इसे तैयार किया और 2005 के अधिनियम की धारा 22 के तहत अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट ,संयुक्त राज्य कर आयुक्त, अंचल प्रभारी, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया।

17. यह कहा गया है कि संयुक्त आयुक्त राज्य कर (प्रतिवादी संख्या 3) ने याचिकाकर्ता को 1993 के अधिनियम की धारा 8 , जो कि 2005 के अधिनियम की धारा 31,24 (8) और बिहार मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 65 और बिहार प्रवेश कर नियम, 1993 के नियम 10 के साथ पठित है, के तहत जांच के लिए लेखा पुस्तकें और प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस की प्रति जवाबी शपथपत्र के अनुलग्नक-सी, डी और ई के रूप में अभिलेख में लाई गई है। उसी के अवलोकन से पता चलेगा कि इन नोटिसो को याचिकाकर्ता-कंपनी को 21.09.2020 को जारी किया गया था।

18. आगे यह कथित है कि श्री अभिषेक कुमार तिवारी ने दी गए नोटिसो के अनुपालन में तथ्यों की जांच के लिए किताबें और लेखा, वैधानिक प्रपत्र और अन्य प्रासंगिक

दस्तावेज प्रस्तुत किए। बही और खाते की उचित जांच के बाद, बिहार मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 65 के साथ पठित 2005 के अधिनियम की धारा 31,24 (8) के तहत और बिहार प्रवेश कर नियम, 1993 के नियम 10 के तहत याचिकाकर्ता को 21,12,013 रुपये का मांग नोटिस दिया गया था। प्रतिवादी संख्या-.3 ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लेखा पुस्तकों से पाया गया कि 2005 का अधिनियम , के तहत अंतरराज्यीय खरीद/रसीद के तहत दायर वार्षिक विवरणी ,उनकी लेखा पुस्तकों में घोषित अंतरराज्यीय खरीद/रसीद से कम थी यह पाया गया कि 1993 के अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी वस्तुओं की बिक्री या खरीद का मूल्यांकन, याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा कम किया गया है। याचिकाकर्ता-कंपनी ने अपने द्वारा देय स्वीकृत प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया था और वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की थी, इसलिए याचिकाकर्ता-कंपनी पर जुर्माना और ब्याज लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने अपना प्रवेश कर सुलह विवरण, ई. टी.-एक्स. प्रपत्र में दाखिल नहीं किया है, इसलिए मार्च, प्रतिवादी संख्या -3 के द्वारा जारी मुल्यांकन आदेश में 2016 के महीने में भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की गणना नही की गई है ।

19. यह निवेदीत है कि याचिकाकर्ता ने खुद को 2005 के अधिनियम से अलग होने के उपरांत, बिहार वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बीजीएसटी) के तहत पंजीकृत किया था। व्यवसाय और व्यापार का वही नाम है जो 2005 के अधिनियम में पंजीकृत है, और याचिकाकर्ता अभी भी मेसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के नाम से व्यापार एवम व्यवसाय कर रहा है। विडंबना यह है कि याचिकाकर्ता आज भी उसी व्यापारिक नाम के "सद्भावना" का उपयोग कर रहा है। 2005 के अधिनियम की धारा 63 का उल्लेख करते हुए, यह कथित है कि यह व्यवसाय के हस्तांतरण के मामले में कर का भुगतान करने के लिए दायित्व प्रदान करता है। यह निवेदीत है कि जब इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यापारी के व्यवसाय का स्वामित्व पूरी तरह से हस्तांतरित हो जाता है, तो अंतरक और अनतरिती संयुक्त रूप से और अलग-अलग, ऐसे व्यवसाय के संबंध में देय किसी भी कर, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करें और उसके के प्रति उत्तरदायी होंगे और हस्तांतरण के समय अवैतनिक रहेंगे,।

20. जहां तक आई. बी. सी. की प्रयोज्यता का संबंध है, यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता-कंपनी की ओर से करों, ब्याज, जुर्माने और जुर्माने के भुगतान का कोई दायित्व नहीं है क्योंकि यह पूर्व कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया है। पहला नोटिस याचिकाकर्ता को अतिरिक्त राज्य कर आयुक्त(लेखा परीक्षा) के, पूर्णिया प्रभाग के कार्यालय द्वारा 18.09.2018 को वैट लेखा परीक्षा के लिए खातों की पुस्तकें प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है। याचिकाकर्ता-कंपनी ने 10.10.2018 पर संकल्प योजना प्रस्तुत की और एन.सी.एल.टी. ने 05.09.2019 को जे.एस.डबल्यु.स्टील लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को मंजूरी दी। दिनांक 17.02.2020 को एन.सी.एल.टी ने आदेश पारित किया।

21. प्रतिवादियों के जवाबी शपथ पत्र पर याचिकाकर्ता की ओर से कोई जवाब नहीं है।

22. चूंकि, अन्य दो रिट आवेदनों में भी पक्षों की ओर से समान प्रकार की दलीलें दी गई थीं, इसलिए हम इसे दोहरा नहीं रहे हैं।

विचारणीय

23. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। यह अभिलेख की बात है कि याचिकाकर्ता कंपनी, एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही का सामना, कंपनी के वित्तीय लेनदार, पंजाब नेशनल बैंक के कहने पर कर रही थी।आई. बी. सी., दिनांक 28.05.2016 के अधिनियम 2016 ,संख्या- 31 अनुसार अस्तित्व में आया है। आई. बी. सी. की प्रस्तावना इस प्रकार हैः

> "कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालियेपन समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम, समयबद्ध तरीके से ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए, जिसमें

सरकारी बकाया के भुगतान के प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों का समाधान शामिल है।"

24. आई. बी. सी. की धारा 3 परिभाषा धारा है जो "ऋण" को परिभाषित करती है। धारा 3 के खंड (11) के तहत।""ऋण" का अर्थ है किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व जो किसी भी व्यक्ति से देय है और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं। धारा 7 किसी वित्तीय लेनदार द्वारा स्वयं या संयुक्त रूप से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। धारा 10 में एक निगमित आवेदक द्वारा, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की चर्चा की गई है।

25. धारा 13 में स्थगन की घोषणा और सार्वजनिक घोषणा का प्रावधान है। आई. बी. सी. की धारा 13 और 14 को तैयार संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैःदस्तावेजों की सूची

"13. स्थगन की घोषणा और सार्वजनिक घोषणा

(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद, एक आदेश द्वारा-

(क) धारा 14 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थगन की घोषणा करेगा;

(ख) कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की सार्वजनिक घोषणा करेगा और धारा 15 के तहत दावों को प्रस्तुत करने के लिए कहेगा; और

(ग) धारा 16 में निर्धारित तरीके से अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति करना। (2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति के तुरंत बाद की जाएगी।

14. स्थगन

(1) उपधारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन, दिवालियापन प्रारंभ तिथि पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी को प्रतिबंधित करने के लिए स्थगन की घोषणा करेगा, अर्थात्:

(क) कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ मुकदमा दायर करना या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखना, जिसमें किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश का निष्पादन शामिल है;

(ख) कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति या किसी कानूनी अधिकार या उसमें लाभकारी हित को स्थानांतरित करना, भारग्रस्त करना, अलग करना या निपटाना;

(ग) कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में बनाए गए किसी भी सुरक्षा हित को जब्त करने, वसूलने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई, जिसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत कोई कार्रवाई शामिल है;

(घ) किसी मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की वसूली, जहां ऐसी संपत्ति कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अधिभोग की गई हो या उसके कब्जे में हो।

(2) कॉर्पोरेट देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, अधिस्थगन अवधि के दौरान समाप्त या निलंबित या बाधित नहीं की जाएगी। 1

[(2-ए) जहां अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, कॉर्पोरेट देनदार के मूल्य की रक्षा और संरक्षण के लिए वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को महत्वपूर्ण मानता है और ऐसे कॉर्पोरेट देनदार के संचालन को एक चालू चिंता के रूप में प्रबंधित करता है, तो ऐसे वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को अधिस्थगन की अवधि के दौरान समाप्त, निलंबित या बाधित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे कॉर्पोरेट देनदार ने अधिस्थगन अवधि के दौरान ऐसी आपूर्ति से उत्पन्न होने वाले बकाया का भुगतान नहीं किया है या ऐसी परिस्थितियों में जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं।] 2

[(3) उप-धारा (1) के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे -

3[(ए) ऐसे लेनदेन, समझौते या अन्य व्यवस्थाएं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी वित्तीय क्षेत्र नियामक या किसी अन्य प्राधिकरण के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है;]

(4) स्थगन आदेश ऐसे आदेश की तारीख से लेकर कॉर्पोरेट दिवालियेपन समाधान प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी रहेगाः बशर्ते कि कॉर्पोरेट दिवालियेपन समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान किसी भी समय, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 की उपधारा (1) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देता है या धारा 33 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन के लिए आदेश पारित करता है, तो स्थगन ऐसे अनुमोदन या परिसमापन आदेश की तारीख से प्रभावी नहीं रहेगा, जैसा भी मामला हो।

26. धारा 15 में यह प्रावधान है कि धारा 13 में निर्दिष्ट आदेश के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की सार्वजनिक घोषणा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी, अर्थात् -

(क) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत निगमित ऋणी का नाम और पता;

(ख) उस प्राधिकरण का नाम जिसके साथ निगमित ऋणदाता निगमित या पंजीकृत है;

(ग) 4 [दावे, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है] प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि;

(घ) अंतरिम समाधान व्रितिक का विवरण जो निगमित ऋणी के प्रबंधन के साथ निहित होगा और दावे प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा;

(ड,) झूठे या भ्रामक दावों के लिए दंड; और

(च) वह तिथि जिस पर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होगी, जो यथास्थिति, धारा 7,9 या धारा 10 के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सीवां दिन होगा।

(2) इस धारा के तहत सार्वजनिक घोषणा ऐसी तरीके से की जाएगी जो निर्दिष्ट की जाए।

27. आई. बी. सी. की योजना के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास धारा 16 के तहत चौदह दिनों के भीतर किसी भी अंतरिम समाधान व्रितिक को नियुक्त करने की शक्ति है। धारा 17 के तहत से अंतरिम समाधान व्रितिक द्वारा निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन। अंतरिम समाधान व्रितिक की नियुक्ति की तारीख और निदेशक मंडल या निगमित ऋणी के भागीदारों की शक्तियां, जैसा भी मामला हो, निलंबित हो जाएंगी और अंतरिम समाधान व्रितिक द्वारा प्रयोग की जाएंगी। निगमित ऋणी के मामलों का प्रबंधन अंतरिम समाधान व्रितिक के पास निहित होगा और वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा -

(क) निगमित ऋणी के मामलों का प्रबंधन अंतरिम समाधान व्रितिक में निहित होगा;

(ख) निदेशक मंडल या निगमित ऋणी के भागीदारों की शक्तियां, जैसा भी मामला हो, निलंबित हो जाएंगी और अंतरिम समाधान व्रितिक द्वारा उनका उपयोग किया जाएगा;

(ग) निगमित ऋणी के अधिकारी और प्रबंधक अंतरिम समाधान व्रितिक को रिपोर्ट करेंगे और निगमित ऋणी के ऐसे दस्तावेजों और अभिलेखो तक पहुंच प्रदान करेंगे जो अंतरिम समाधान व्रितिकद्वारा आवश्यक हो सकते हैं;

(घ) निगमित ऋणी के खातों को बनाए रखने वाले वित्तीय संस्थान ऐसे खातों के संबंध में अंतरिम समाधान व्रितिक के निर्देशों पर कार्य करेंगे और उनके पास उपलब्ध निगमित ऋणी से संबंधित सभी जानकारी अंतरिम समाधान व्रितिक को प्रदान करेंगे।

28. इस उद्देश्य के लिए, धारा 20 की उप-धारा (2) के तहत अंतरिम समाधान व्रितिक के पास कुछ शक्तियां निहित की गई हैं।

29. धारा 21 लेनदारों की समिति की बात करती है। उप-धारा (1) के अनुसार, अंतरिम समाधान व्रितिक, निगमित ऋणी के खिलाफ प्राप्त सभी दावों के मिलान और निगमित ऋणी की वित्तीय स्थिति के निर्धारण के बाद, लेनदारों की एक समिति का गठन करेगा।' उप-धारा (2) में प्रावधान है कि लेनदारों की समिति में निगमित ऋणी के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होंगे।

30. इसके बाद धारा 22 आती है जो समाधान व्रितिक की नियुक्ति प्रदान करती है। धारा 23 के तहत समाधान व्रितिक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करते हैं और धारा 24 लेनदारों की समिति की बैठक का प्रावधान करती है। आई. बी. सी. की धारा 25 समाधान व्रितिक के कर्तव्यों का प्रावधान करती है। समाधान व्रितिक को धारा 25 की उप-धारा (2) के तहत प्रदान की गई कार्रवाई करनी होती है।

31. धारा 28 (1) में कहा गया है कि ततसमय ,किसी अन्य विधि में कुछ भी निहित होने के बावजूद, समाधान व्रितिक, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान, लेनदारों की समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना निम्नलिखित में से कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, अर्थात्ः

> (क) किसी ऐसी रकम से अधिक कोई भी अंतरिम वित्त जुटाना जो ऋणदाताओं की समिति द्वारा उनकी बैठक में तय की जाये'
>
> (ख) निगमित ऋणी की आस्तियों पर कोई प्रतिभूति हित सृजित करना;
>
> (ग) निगमित ऋणी की पूंजी संरचना में परिवर्तन करना, जिसमें अतिरिक्त प्रतिभूतियों को जारी करना, प्रतिभूतियों का एक नया वर्ग बनाना या निगमित ऋणी कंपनी होने की स्थिति में जारी प्रतिभूतियों को वापस खरीदना या उनका मोचन करना शामिल है।
>
> (घ) निगमित ऋणी के स्वामित्व हित में किसी भी परिवर्तन को अभिलिखित करना;

(ङ) निगमित ऋणी के खातों को बनाए रखने वाले वित्तीय संस्थानों को किसी ऐसे नाम डालने वालने सम्व्यवहार,जो किसी ऐसे खाते में से ऐसी किसी रकम, जिसका लेनदारों की समिति द्वारा उनकी बैठक में तय किया जाये,के आधिक्य में किया गया है, अनुदेश लेना;

(च) कोई भी संबंधित पक्ष सम्व्यवहार करना;

(छ) निगमित ऋणी के किसी भी संवैधानिक दस्तावेज में संशोधन;

(ज) किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्राधिकार का प्रत्यायोजन करना;

(झ) निगमित ऋणी के किसी शेयरधारक या उनके नामितों के किसी भी शेयरधारक के शेयरों का तीसरे पक्ष को व्ययन करना या व्ययन करने की अनुमति देना;

(जे) निगमित ऋणी या उसकी सहायक कंपनी के प्रबंधन में कोई बदलाव करना;

(ट) कारबार के सामान्य अनुक्रनम से भिन्न किसी तात्विक सम्विदा के अधीन अधिकारो या वित्तीय ऋणो या प्रचालन ऋणो का अंतरन करना'

(ठ) लेनदारों की समिति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे कर्मियों की नियुक्ति या अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करना; या

(ड) निगमित ऋणी के किसी विधिक लेखा परीक्षक के या आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति या अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करना।

(2) समाधान व्रितिक लेनदारों की समिति की एक बैठक बुलाएगा और उप-धारा (1) के तहत कोई भी कार्रवाई करने से पहले लेनदारों का मत प्राप्त करेगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत किसी भी कार्रवाई को लेनदारों की समिति द्वारा तब तक अनुमोदित नहीं किया जाएगा जब तक कि मतदान शेयरों के 1 [छियासठ] प्रतिशत के वोट से अनुमोदित नहीं किया जाता है।

(4) जहां उप-धारा (1) के तहत कोई कार्रवाई समाधान व्रितिक द्वारा इस धारा में आवश्यक तरीके से लेनदारों की समिति से अनुमोदन प्राप्त किए बिना की जाती है, वहा ऐसी कार्रवाई शून्य होगी।

(5) लेनदारों की समिति इस संहिता के तहत उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को उप-धारा (4) के तहत समाधान व्रितिक की कार्रवाईयो की रिपोर्ट कर सकती है।

32. धारा 30 और 31 समाधान योजना को प्रस्तुत करने और अनुमोदन का प्रावधान करती है।दोनों खंडों को नीचे उद्धृत किया जा रहा हैःदस्तावेजों की सूची

"**30. समाधान योजना को प्रस्तुत करना–** (1) एक समाधान आवेदक सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार किए गए समाधान व्रितिक को एक समाधान योजना 1 [एक शपथपत्र के साथ जिसमें कहा गया है कि वह धारा 29-ए के तहत पात्र है] समाधान व्रितिक को प्रस्तुत कर सकता है।

(2) समाधान व्रितिक अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करेगा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि प्रत्येक समाधान योजना-

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से, निगमित ऋणी के अन्य ऋणों के 2 [भुगतान] को प्राथमिकता देते हुए किये जाने का प्रावधान करती है।

3-[(ख) प्रचालन ऋणदाताओं के ऋणों के भुगतान के लिए ऐसी रीति का प्रावधान करता है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए और जो -

(i) धारा 53 के तहत निगमित ऋणी के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को दी जाने वाली राशि; या

(II) ऐसी ऋणदाताओं को दी जाने वाली राशि, यदि समाधान योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि को धारा 53 की उप-धारा (1) में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित किया गया होता,

इनमे से जो भी अधिक हो,कम नही होगी और ऐसे वित्तीय लेनदारों के, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं,ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान करता है, ऐसी रीति में उपबंध करती है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की

जाए, जो निगमित ऋणी के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी।

(ग) समाधान योजना के अनुमोदन के बाद निगमित ऋणी के कार्योके प्रबंध के लिये उपबंध करती है;

(घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबंध करती है;

(ङ) उस समय लागू विधि के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है।

(च) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है।

(3) समाधान व्रितिक, ऐसी समाधान योजना अनुमोदन के लिए लेनदारों की समिति को प्रस्तुत करेगा जो उप-धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों की पुष्टि करती हैं।

2[(4) लेनदारों की समिति, एक किसी समाधान योजना का,३-{उसकी साध्यता और व्यवहार्यता,प्रस्तावित वितरण की रिति,जिसका निर्धारण करते हुये धारा -53 की उपधारा (1) में यथा अधिकथित रुप से लेनदारो के बीच की प्राथमिकता और मूल्य शामिल हैं, के क्रम को ध्यान में रख सकेगा तथा] ऐसी अन्य आवश्यकताएं जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं,विचार करने के पशचात लेनदारो के मत के भाग के कम से कम ३ [छियासठ] प्रतिशत के मत द्वारा अनुमोदन कर सकेगी ;

बशर्ते कि ऋणदाताओं की समिति दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश 7) के प्रारंभ से पहले प्रस्तुत एक समाधान योजना को मंजूरी नहीं देगी, जहां समाधान आवेदक धारा 29-ए के तहत अयोग्य है और जहां उसके पास कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं हैः वहा, समाधान व्रितिक से, एक नये सिरे से , समाधान योजना आमंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है

परंतु यह और कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा 29-ए के खंड (सी) के तहत अयोग्य है, वहा लेनदारों की समिति द्वारा, समाधान आवेदक को धारा 29-ए के खंड (सी) के परंतुक के

अनुसार ऐसी अवधि, ,अतिदेय राशियों का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी जो तीस दिनों से अधिक नही होगी'

परन्तु यह भी कि दूसरे परंतुक की किसी भी बात का अर्थ धारा 12 की उप-धारा (3) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए अवधि के विस्तार के रूप में नहीं किया जाएगा और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगीः]

1 [बशर्ते कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का आदेश 6) द्वारा यथा संशोधित धारा 29-ए में पात्रता मानदंड उस समाधान आवेदन पर लागू होंगे जिसने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का आदेश 6) के प्रारंभ की तारीख तक समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है।]

(5) समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति की बैठक में भाग ले सकता है जिसमें आवेदक की समाधान योजना पर विचार किया जाता हैः

बशर्ते कि समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसा समाधान आवेदक भी वित्तीय लेनदार न हो।

(6) समाधान व्रितिक ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

31. समाधान योजना का अनुमोदन- (1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (2) में यथानिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है, तो वह आदेश द्वारा समाधान योजना को अनुमोदित कर देगा जो निगमित ऋणी और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों पर, 2 [प्रतिभुतिदाताओ और समाधान योजना में सम्मिलित अन्य पणधारिओ पर,जिनके अंतर्गत केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार या ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी भी शामिल है, जिसे ततसमय प्रव्रित किसी विधि के अधीन उत्पन्न बकाया के भुगतान के संबंध में ऐसे प्राधिकारी के रुप में ऋण है, जैसे कि ऐसे अधिकारी जिन्हें वैधानिक बकाया

है], प्रतिभुतिदाताओ और समाधान योजना में सम्मिलित अन्य पणधारिओ पर बाध्यकारी होगी;

3-[परंतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, इस उप-धारा के तहत समाधान योजना के अनुमोदन का एक आदेश पारित करने से पहले, यह समाधान करेगा कि समाधान योजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपबंध सम्मिलित हैं।]

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि समाधान योजना उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है, तो वह एक आदेश द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है।

(3) उप-धारा (1) के तहत अनुमोदन के आदेश के बाद, -

(क) धारा 14 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित अधिस्थगन आदेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और

(ख) समाधान व्रितिक,निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन और समाधान योजना से संबंधित सभी अभिलेख और समाधान अपने डाटाबेस में अभिलिखित करने के लिये बोर्ड को भेजेगा।

1-[(4) समाधान आवेदक, उप-धारा (1) के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के तहत समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या तत्समय प्रव्रत्त किसी अन्य विधि में ,यथा ऐसी अवधि के भीतर, इनमे जो भी बाद में हो, उक्त विधि के अधीन आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

परंतु जहां समाधान योजना में, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 5 में यथानिर्दिश्ट संयोजन का प्रावधान है,वहा समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन से पहले उस अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।]"

33. आई. बी. सी. की धारा 31 से यह स्पष्ट है कि धारा 30 के तहत प्रस्तुत एक समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है और फिर यह

निगमित ऋणी और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटरों और समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारकों पर बाध्यकारी होगा।

34. वर्तमान मामले में, समाधान योजना को 05.09.2019 पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है। रिट आवेदन के पैराग्राफ '16' में, याचिकाकर्ता ने समाधान योजना (भाग बी) के खंड 1.6 (vii) का हवाला दिया है जो बकाया सरकारी बकाया, कर आदि के संबंध में है। उसी को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैःदस्तावेजों की सूची

" 1.6 उत्कृष्ट सरकार। देय राशि, कर आदि।

....

....

vii.इसके अलावा, विशेष रूप से, किसी भी अप्रत्यक्ष कर विधि के प्रावधानों के तहत सभी बकाया, जिनमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004, बिजली अधिनियम, 2003, वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (प्रत्येक समय-समय पर संशोधित और उसके तहत बनाए गए नियमों सहित) शामिल हैं, जिसमें प्रवेश कर, बिजली शुल्क, बिजली शुल्क पर क्रॉस सब्सिडी, बिक्री कर स्थगन देनदारियां, शुल्क, जुर्माना, ब्याज, जुर्माना, उपकर, शुल्क, स्रोत पर काटा गया अवैतनिक कर शुल्क या स्रोत पर संग्रहित कर शामिल हैं। चुंगी कर, स्टाम्प शुल्क, स्थानीय निकाय कर, नगरपालिका कर, या अन्य वित्तीय प्रोत्साहन (बिना किसी सीमा के, अनुलग्नक 4 (कंपनी वाद का विवरण) में निर्धारित मामलों के संबंध में कर बकाया सहित) चाहे स्वीकार किया गया हो या नहीं। देय या आकस्मिक, चाहे वह कम्पनी का अनंतिम तुलनापत्र, कंपनी की तुलनापत्र या कंपनी के लाभ और हानि खाता विवरण या प्रभावी तिथि से पहले की किसी भी अवधि के संबंध में लेनदारो की सूची में उल्लिखित हो या नहीं।, या इस

समाधान योजना के अनुसार कंपनी पर समाधान आवेदक द्वारा नियंत्रण के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न होने वाले, इस समाधान योजना को मंजूरी देने वाले सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 37 के अनुसार, इस समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एन. सी. एल. टी. के आदेश के आधार पर ऋणदाता, दावा किए गए या अप्रमाणित, क्रिस्टलीकृत या असंरचित, ज्ञात या अज्ञात, सुरक्षित या असुरक्षित, विवादित या निर्विवाद, वर्तमान या भविष्य, समाप्त हो जाएंगे और कंपनी इस समाधान योजना में विशेष रूप से प्रदान किए गए दावे के अलावा किसी भी ऐसे दावे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। प्रभावी तिथि से पहले की किसी भी अवधि के संबंध में या इस समाधान योजना के अनुसार कंपनी पर समाधान आवेदक द्वारा नियंत्रण के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न होने वाली या इस समाधान योजना के तहत विचार किए गए उपायों के कारण कंपनी के संबंध में लंबित या खतरे की सभी सूचनाएं, मूल्यांकन, अपीलीय या अन्य कार्यवाहियां समाप्त और वापस ले ली जाएंगी और सभी परिणामी देनदारियां, यदि कोई हों, तो सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 37 के अनुसार समाप्त हो जाएंगी और इस समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एन. सी. एल. टी. के आदेश और किसी भी पुनर्मूल्यांकन, संशोधन के आधार पर कंपनी द्वारा देय नहीं मानी जाएंगी। या अप्रत्यक्ष कर कानून के प्रावधानों के तहत अन्य कार्यवाही को इस समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एन. सी. एल. टी. के आदेश और समाधान आवेदक कंपनी के आधार पर प्रभावी तिथि से पहले की किसी भी अवधि के संबंध में वर्जित माना जाएगा। होल्डको और एसपीवी को किसी भी समय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इसके संबंध में जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।(प्रतिनिधि द्वारा जोड़ा गया जोर) "

35. समाधान योजना के खंड 1.6 (vii) को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि यह प्रभावी तिथि से पहले किसी भी हिस्से के संबंध में किसी भी अप्रत्यक्ष कर विधियो के प्रावधानों के तहत 'बकाया' को अपने दायरे में लेता है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या वर्तमान मामले में यह कहा जा सकता है कि विचाराधीन मांग प्रभावी तिथि से पहले किसी भी

भाग के संबंध में बकाया है। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्रभावी तिथि जिस तारीख को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कुछ शर्तों के साथ समाधान योजना को मंजूरी दी थी 05.09.2019 होगी।

36. घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड(ऊपर) के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के प्रभाव पर विचार किया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ '64', '65', '68', '84', '95', '96', '97', '98' और '102' को तैयार संदर्भ के लिए यहां निकाला जा रहा हैःदस्तावेजों की सूची

> “.**64.** इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विधायिका ने सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान को सर्वोपरि महत्व दिया है और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा न्यायिक समीक्षा का दायरा सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 31 के तहत प्रदान की गई सीमा तक सीमित है और अपीलीय प्राधिकरण सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई सीमा तक सीमित है, जो अब एकीकृत नहीं है।
>
> **65.** आई एंड बी संहिता की धारा 31 को केवल पढ़ने से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि एक बार समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, यह संतुष्ट होने के बाद कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, यह निगमित ऋणी और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटरों और अन्य हितधारकों पर बाध्यकारी होगी।इस तरह के प्रावधान की आवश्यकता है क्योंकि आई एंड बी कोड के प्रमुख उद्देश्यों में से एक निगमित ऋणी का पुनरुद्धार और इसे एक विचारणीय विषय बनाना है।
>
> **68.** इन सभी विवरणों को सूचना ज्ञापन में शामिल करने की आवश्यकता है ताकि समाधान आवेदक को पता हो कि उसे किन देनदारियों का सामना करना पड़ सकता है और एक योजना के लिए प्रावधान करें, जो ऐसी देनदारियों के एक हिस्से को पूरा करने के

अलावा यह भी सुनिश्चित करेगा कि निगमित ऋणी को पुनर्जीवित किया जाए और एक चालू प्रतिष्ठान बनाया जाए। समाधान योजना को सभी हितधारकों पर बाध्यकारी बनाने का विधायी इरादा, इसकी संतुष्टि पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से अनुमोदन की मुहर मिलने के बाद, कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अपेक्षाओ को पूरा करती है कि समाधान योजना के अनुमोदन के बाद, सफल समाधान आवेदक पर कोई आश्चर्यजनक दावा नहीं किया जाना चाहिए। प्रमुख उद्देश्य यह है कि उसे अनुमोदित समाधान योजना के आधार पर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए।

84. यह स्पष्ट है कि आई एंड बी संहिता की धारा 31 के संशोधन से पहले जो गड़बड़ी देखी गई थी, वह यह थी कि हालांकि विधायी इरादा, केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या कर अधिकारियों सहित किसी भी स्थानीय प्राधिकरण को दिए गए ऐसे सभी ऋणों को समाप्त करना था, एक बार जब एन. सी. एल. टी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दे दी गई थी; कुछ अस्पष्टता होने के कारण, राज्य/केंद्र सरकार के अधिकारियों ने उन्हें दिए गए ऋणों के संबंध में कार्यवाही जारी रखी। उक्त गलतियो को दूर करने के लिए, विधायिका ने इस स्थिति को स्पष्ट करना उचित समझा कि एक बार इस तरह की समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, राज्य/केंद्र सरकार या कर प्राधिकरणों सहित किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के सभी ऐसे दावे/बकाया, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं थे, समाप्त हो जाएंगे।

95. एक और कारण है जो हमें उक्त दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी करता है।सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 3 का खंड (10) "लेनदार" को इस प्रकार परिभाषित करता हैः

"3. (10) " लेनदार का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे ऋण देना है और इसमें एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार, एक सुरक्षित लेनदार, एक असुरक्षित लेनदार और एक डिक्री धारक शामिल हैं।

96. सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 5 के खंड (20) और (21) क्रमशः "परिचालन लेनदार" और "परिचालन ऋण" को इस प्रकार परिभाषित करते हैंः

"5. (20) " **परिचालन लेनदार** "का अर्थ है एक व्यक्ति जिस पर परिचालन ऋण बकाया है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसा ऋण विधिक रूप से दिया गया है या हस्तांतरित किया गया है;

(21) " परिचालन ऋण "का अर्थ है ऋण के भुगतान के दावे के संबंध में रोजगार या ऋण सहित वस्तुओं या सेवाओं के, केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय किसी भी विधि के अधीन, उत्पन्न होने वाले बकाये का भुगतान,"

97. ""इसलिए लेनदार को" "किसी भी व्यक्ति के लिए परिभाषित किया गया है जिसे ऋण देना है और इसमें एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार, एक सुरक्षित लेनदार, एक असुरक्षित लेनदार और एक डिक्री-धारक शामिल हैं।""परिचालन लेनदार "को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे एक परिचालन ऋण बकाया है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसा ऋण विधिक रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है। "परिचालन ऋण "को उस समय लागू किसी भी विधि के तहत उत्पन्न बकाया के भुगतान के संबंध में रोजगार या ऋण सहित वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में एक दावे के रूप में परिभाषित किया गया है जो केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय है।

98. यह विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है कि एक परिनियम को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। धारा 5 के खंड (20) और (21) के साथ पठित सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 3 के खंड (10) के सामंजस्यपूर्ण विनिर्माण से पता चलेगा कि किसी भी विधि के तहत उत्पन्न होने वाले बकाया के संबंध में दावा भी केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को वर्तमान में लागू और देय "परिचालन ऋण" के दायरे में आएगा। केंद्र सरकार, कोई भी

राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिस पर परिचालन ऋण बकाया है, सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 5 के खंड (20) के तहत परिभाषित "परिचालन लेनदार" के दायरे में आएगा। नतीजतन, एक व्यक्ति जिसे ऋण देना है, वह आई एंड बी कोड की धारा 3 के खंड (10) के तहत परिभाषित "लेनदार" की परिभाषा के दायरे में आएगा। इस प्रकार, 2019 के संशोधन के बिना भी, केंद्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण जिसे ऋण देना है, वैधानिक बकाया सहित, "लेनदार" शब्द द्वारा और किसी भी मामले में, "अन्य हितधारक" शब्द द्वारा कवर किया जाएगा जैसा कि आई एंड बी कोड की धारा 31 की उप-धारा (1) में प्रदान किया गया है।

102. परिणामस्वरूप**,** हम अपने द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार देते हैंः

102.1.कि निर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक बार धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत एक समाधान योजना को विधिवत मंजूरी दिए जाने के बाद, समाधान योजना में दिए गए दावे रोक दिए जाएंगे और केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, गारंटर और अन्य हितधारकों सहित निगमित ऋणी और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों पर बाध्यकारी होंगे। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तिथि पर, ऐसे सभी दावे, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, समाप्त हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति किसी दावे के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का हकदार नहीं होगा, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है।

102.2.आई एंड बी संहिता की धारा 31 में 2019 का संशोधन स्पष्ट और घोषणात्मक प्रकृति का है और इसलिए आई एंड बी संहिता लागू होने की तारीख से प्रभावी होगा।

102.3.नतीजतन, केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण को देय वैधानिक बकाया सहित सभी बकाया,

यदि समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, तो समाप्त हो जाएंगे और उस तारीख से पहले की अवधि के लिए ऐसे बकाया के संबंध में कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है जिस दिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 के तहत अपनी मंजूरी देता है।"

37. बंबई उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने रिट याचिका**(**एल**)** संख्या **-** 940/2022 **(उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड और दूसरा बनाम सहायक आयकर आयुक्त और अन्य)** में 28 अगस्त**,** 2024 को दिये गये अपने निर्णय में यह विचार किया कि एक बार समाधान योजना को आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के तहत विधिवत अनुमोदित किया जाता है, जिसमें केवल समाधान योजना में दिए गए ऋण देय रहेंगे और ऐसी स्थिति अन्य बातों के अलावा, केंद्र सरकार और कर प्राधिकरणों सहित विभिन्न प्राधिकरणों के लिए बाध्यकारी होगा। यह देखा गया है कि "सभी बकाया जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, समाप्त हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी बकाया के लिए किसी भी दावे के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का हकदार नहीं होगा। समाधान योजना के अनुमोदन से पहले की अवधि से संबंधित किसी भी बकाया के संबंध में कोई कार्यवाही जारी या शुरू नहीं की जा सकती है।

38. माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने स्वयं के निर्णय**, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त** के वाद में **एस. सी. सी. 2024 में ऑनलाइन(बम्बई)- 3481 और ए. एम. एन. एस. खोपोली लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त** (ऊपर) पर भरोसा करते हुए यह निर्णय दिया कि समाधान योजना में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यवाही या जांच को शुरू करने, किसी भी दावे को लागू करने या दावे के संबंध में किसी भी कार्यवाही को जारी रखने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि समाधान योजना की प्रभावी तारीख से पहले की अवधि तक, यानी 10 नवंबर, 2022 के विवादित नोटिस विधिमान्य नही हैं।

39. आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य के वाद रिट याचिका **(**पी**)** संख्या**-1553/2022** दिनांक **08.12.2022.** को निर्णीत **,** में माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध आई. बी. सी. के तहत एन. सी. एल. टी. के समक्ष उस अवधि

से पहले की अवधि के लिए मांग की गई थी, जिसके दौरान कार्यवाही लंबित थी के मांगो की वैधता की जांच की। माननीय खंड पीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड**(ऊपर) के फैसले पर भरोसा किया जिसमे न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ '93' से '98' में कहा है कि समाधान योजना को एन. सी. एल. ए. टी. के आदेशों के साथ 3 मार्च, 2020 को प्रभावी बनाया गया था, जिसके द्वारा समाधान योजना को प्रभावी बनाया गया था। ऐसी परिस्थिति में, याचिकाकर्ता के खिलाफ उस अवधि से पहले की अवधि के लिए की गई मांगों को रद्द किया जा सकता है, जिसके दौरान कार्यवाही लंबित थी।

40. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि एन. सी. एल. टी. ने 05.09.2019 को समाधान योजना को मंजूरी दी और एन. सी. एल. ए. टी. ने 17.02.2020 को एन. सी. एल. टी. के आदेश की पुष्टि की। बिहार सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2016-17 के तहत लेखा परीक्षा 12.02.2020 पर ली गई थी और लेखा परीक्षा नोटिस के अनुसार, याचिकाकर्ता को 25.08.2020 को नोटिस जारी किए गए थे और रिट आवेदन में विवादित मूल्यांकन आदेश 22.12.2021 को पारित किया गया था।

41.माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय और माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णयों को देखने के बाद और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि इससे उत्पन्न होने वाले मूल्यांकन और मांग का आदेश प्रभावी तिथि के पूर्व का है, हमारी यह सुविचारित राय है कि वर्तमान मामला **घनश्याम मिश्रा** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दायरे के अंतर्गत आएगा। हम माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय और माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत हैं। तदनुसार, सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 4624/2022 में क्रमशः अनुलग्नक-1 और 2 में निहित 22.12.2021 के निर्धारण का आक्षेपित आदेश और 22.12.2021 की मांग सूचना, सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 4637/2022 में अनुलग्नक-1 और 2 में निहित मूल्यांकन का आक्षेपित आदेश और मांग सूचना दिनांक 20.12.2021 और सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या -4785/2022 में क्रमशः अनुलग्नक-1 और 2 में

निहित मूल्यांकन का आक्षेपित आदेश और मांग सूचना दिनांक 28.12.2021 को रद्द कर किया जाता है।

42. नतीजतन, इन रिट आवेदनों को ऊपर बताए गए हद तक अनुमति दी गई है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

अरविंद/-

1. 2020 के अधिनियम 1, धारा 5 द्वारा (28-12-2019 से प्रभावी) प्रतिस्थापित।
2. 2018 के अधिनियम 26 की धारा 10 द्वारा धारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित (6-6-2018 से प्रभावी)।
3. 2020 के अधिनियम 1, धारा 5 द्वारा (28-12-2019 से प्रभावी) प्रतिस्थापित।

1. 2018 के अधिनियम 26 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित (6-6-2018 से प्रभावी)।
1. 2018 के अधिनियम 26 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित (6-6-2018 से प्रभावी)।
2. 2018 के अधिनियम 26 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित (6-6-2018 से प्रभावी)।

2. 2018 के अधिनियम 8 की धारा 6 द्वारा उप-धारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित (23-11-2017 से प्रभावी)।
3. 2018 के अधिनियम 26 की धारा 23 द्वारा "पहत्तर" के स्थान पर प्रतिस्थापित (6-6-2018 से प्रभावी)।
4. 2019 के अधिनियम 26 की धारा 6(बी) द्वारा (16-8-2019 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
1. 2018 के अधिनियम 26 की धारा 23 द्वारा (6-6-2018 से प्रभावी) अंतःस्थापित।

2. अधिनियम 26 वर्ष 2019 की धारा 7 द्वारा (दिनांक 16-8-2019 से) अंतःस्थापित।
3. अधिनियम 26 वर्ष 2018 की धारा 24 द्वारा (दिनांक 6-6-2018 से) अंतःस्थापित।
1. अधिनियम 26 वर्ष 2018 की धारा 24 द्वारा (दिनांक 6-6-2018 से) अंतःस्थापित।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।